

वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० ।


संख्या-एस०एस०-वाणिज्य कर नवीन कार्यालय-2016-17 / 544/ वाणिज्य कर

लखनऊ : दिनांक : 16-09-2016

::- आदेश :-


उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-(3) के उपनियम- (3) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के वाणिज्य कर खण्डों को "ए" तथा "बी" श्रेणी के खण्डों में निर्धारित किये गये विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या-एस०एस०-वाणिज्य कर नवीन कार्यालय-2010-11 / 775 / वाणिज्य कर दिनांक-13-09-10 में आंशिक संशोधन करते हुए जोनल एडीशनल कमिश्नर, मुरादाबाद, मेरठ व बरेली की संस्तुति के अनुसार खण्ड-6 व खण्ड-10 बरेली, खण्ड-1 बदायूँ, खण्ड-3,11 व 13 मेरठ एवं खण्ड-2 धामपुर को बी-श्रेणी से हटाकर ए-श्रेणी में विभक्त किया जाता है ।

सन्दर्भित आदेश संख्या-एस०एस०-वाणिज्य कर नवीन कार्यालय-2010-11 / 775 / वाणिज्य कर दिनांक-13-09-10 की यथासंशोधित अन्य सभी प्रविष्टियाँ पूर्ववत रहेंगी ।


(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त ।

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन ।
2. जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद, मेरठ व बरेली ।
3. मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर ।
4. ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना) वाणिज्य कर को इस अनुरोध के साथ कि तदनुसार स्थापना अनुभाग के अभिलेखों में सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित मण्डल में डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी श्रेणी-2, वाणिज्य कर की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही अब उपर्युक्तानुसार ही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।
5. समस्त ज्वा० कमि० (कार्य०) / (वि०अनु०शा) / (अपील) वाणिज्य कर, जोन मुरादाबाद, मेरठ व बरेली ।
6. समस्त सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी-2, वाणिज्य कर, जोन मुरादाबाद, मेरठ व बरेली द्वारा संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर ।


(मनोज कुमार तिवारी)
ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।